منتری کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے - دوسرا منتری اسکے بارے میں کہتا ہے]

जजिज का अपाइंटमेंट ला मिनिस्ट्री का मामला है उस पर अरबन डेवलपमेंट मिनिस्टर बोल रहे हैं, कावेरी का मामला है तो डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, फारेन अफेयर्स का मामला है तो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बोल रहे हैं। गवर्नमेंट को आकर के इसके बारे में अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए।...(**व्यवधान**)

†[شری محمد سلیم "چاری": ججز کا اپائنٹمنٹ لا منسٹری کا معاملہ ہے اس پر اربن ڈیولپمنٹ منسٹر بول رہے ہیں - کاویری کا معاملہ ہے تو ڈیفنس منسٹر بول رہے ہیں - فارن افیئرز کا معاملہ ہے تو ایگریکلچر منسٹر بول رہے ہیں - گورنمنٹ کو آکر کے اس کے بارے میں اپنے اسٹینڈ کو کلیر کرنا چاہیے ... "مداخلت" ...]

श्री नरेन्द्र मोहन: विषय यह नहीं है। विषय तो अकारण उठाया जा रहा है।...(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद सलीम: हाउस के अन्दर जब कहते हैं कि क्लेक्टिव रेसपांसिबिलिटी है ...(**व्यवधान**).. मिनिस्टर पास कर देते हैं ...(**व्यवधान**)... फ्री फार आल, फ्री फार आल चल रहा है।...(**व्यवधान**)...

†[شری محمد سلیم: ہاؤس کے اندر جب کہتے ہیں کہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے ... "مداخلت" ... منسٹر پاس کر دیتے ہیں ... "مداخلت" ... فری فار آل - فری فار آل چل رہا ہے ... "مداخلت" ...]

†[Transilteration in Arabic Script

THE DEPUTY CHAIRMAN: I understand the problem. If this is a matter of law, I feel that the Law Minister is a competent person to speak about it. That is why there is a division of labour. Otherwise, anybody can speak *anything*. But whatever is your worry, concern, agony or complaint, that is being registered by the Government. The Law Minister is there. Mr. Barnala is there. They will convey your feelings to the Prime Minister. Just now, neither Mr. Barnala nor the Law Miinister can react *to it because the Ministers are confined* to their Departments. This is the job of the Prime Minister who assigns various duties and Departments to the Cabinet. So, these people cannot say anything.

Nobody can say anthing. They may express their personal opinion. But we do not want their personal opinion any more. श्री रमा शंकर कौशिक।

Atrocities on minorities and Violation of Human Rights in the State of U.P.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया,...

श्री उपसभापति: कौशिक जी, आप बोल रहे हैं। मैं एक बात कह दूं, मैं आपसे ही नहीं पूरे हाउस से कह रही हूं कि स्पेशल मैंशन्स होने के बाद हमको एनवायरनमैंट और फारेस्ट मंत्रालय को डिसकस करना है। आप कृपया संक्षेप में बोलें और कोई कंट्रोवर्सी न करें।

श्री रमा शंकर कौशिक: उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन के और इस सरकार के विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक लोग न केवल आतंक के साये में जी रहे हैं बल्कि मौत के साये में जी रहे हैं। महोदया, आए दिन वहां कार्यकर्ताओं की, विशेष रूप से मुस्लिम कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। अभी एक जुलाई को गुलावटी जिला बुलन्दशहर में एक कार्यकर्ता श्री जफर कुरैशी की पुलिस के द्वारा गोली मार कर के हत्या कर दी गई इसी प्रकार से उससे पहले यामीन कुरैशी को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार डाला और इकबाल मेवाती को गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी एनकाउन्टर में मार डाला, इतना ही नहीं, अनेक ऐसे मुस्लिम साथियों और

कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है जो विभिन्न जिलों के रहने वाले थे। मैं थोड़े से उनके नाम आपको सुनाना चाहता हूं। श्री इरफान अहमद थाना अलीगंज, लखनऊ, श्री अमीरूद्दीन थाना काकोरी, लखनऊ, श्री जियाउद्दीन ग्राम काकोरी थाना काकोरी, लखनऊ, श्री जावेद अली सुजानपुरा रोड आलमबाग, लखनऊ, श्री इमाम अली ग्राम रजवापुर थाना प्रयागपुर, श्रीवस्ती और श्री मोहम्मद हनीफ खां ग्राम व पोस्ट परेवावेश थाना जहानाबाद, पीलीभीत है।...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): यह विषय राज्य सरकार का है पहली बात तो यह है और दूसरी वजह यह है कि यह कहना कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक [illegible] के सामने में [illegible] रहे हैं, यह भी तथ्यों की कसौटी पर [illegible] नहीं [illegible]। ...(व्यवधान)... इस प्रकार की बातें [illegible] से एक [illegible] समस्या उत्पन्न होती है। ...(व्यवधान)...

श्री [illegible] यादव (उत्तर प्रदेश): यह [illegible] का मामला है।...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): आप मत बोलिए। आप इस बात से सहमत ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन: नहीं-नहीं, सहमति और असहमति का प्रश्न नहीं है। ...(व्यवधान)... हमारे यहां की व्यवस्था ऐसी है कि कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। वह यहां चर्चा में नहीं आएगा। ...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय (पश्चिम बंगाल): मैडम, ...(व्यवधान)...

DEPUTY CHAIRMAN: Excuse me, Please sit down. बैठिए, बैठिए। जीवन राय जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। आई विल डू दैट. प्लीज. The first and foremost thing is that the hon. Chairman, in his own wisdom, has allowed this Special Mention. Not only has he been allowed, there are three other Members who have been allowed to speak on this, and Mr. Malhotra has also added his name. So, there are four Members now. If the Chairman has given permission, I am not the competent person to question his wisdom. He must have understood it because he takes a great care in giving permission. And if law and order of any State is not taken care of there, the Council of States has to take care of it. We are not Lok Sabha. We are Council of States. We are concerned with the States. To a certain parameter we are allowed. As long as they don't interfere in the working of the State, let them speak. If they make any comment which is interference in the right of the State, I will take care of that. This much I can promise.

श्री रमा शंकर कौशिक: मैडम, मैं वह बात तो नहीं कह रहा हूं। यह तो अल्पसंख्यकों का मामला है। वहां की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इस दौरान वहां पर 3252 राइट्स की घटनाएं हुई हैं। मुरादाबाद, जहां से मैं आता हूं, वहां तो बहुत बुरी हालत हुई है। वहां पर केवल प्रशासनिक मशीनरी के कारण हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा हुआ है वरना वहां हिन्दू-मुसलमान के झगड़े की बात तो थी ही नहीं।

श्री नरेन्द्र मोहन: मैडम,...(व्यवधान)...

उपसभापति: आप सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक: मैडम, मैं बता रहा हूं।...(व्यवधान)...

उपसभापति: बता दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन: यह क्या सूचना दी जा रही है?...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक: मैडम, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि यह स्टेट क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। मैं "दैनिक जागरण" की रिपोर्ट भी लाया हूं। मैं आपको वह रिपोर्ट दिखा सकता हूं।...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): वह तो आपका बयान छपा है।...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक: नहीं, हमारा बयान नहीं छपा है। इन्होंने खुद छापा है।...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन: कौशिक जी, अगर तीन हजार दंगे हुए हैं तो उसकी सूचना हमारे पास पहले ही आ जानी चाहिए थी।...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक: कृपा करके 3 जुलाई, 1998 के दैनिक जागरण में देख लें, जिसके आप मुख्य सम्पादक हैं। यह आपके यहीं से निकलता है— "राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी दुस्साहसिक बैंक डकैती की घटना ने इस अवधारणा को पुख्ता करने का काम किया है कि समूचा पुलिस तंत्र अपराधियों के समक्ष घुटने टेक चुका है।" यह आपका अखबार कह रहा है। यह किसी का बयान नहीं है।

श्री संघ प्रिय गौतम: आपने कहा था कि दंगे हुए हैं। यह राइट्स नहीं है।...**(व्यवधान)**...

DEPUTY CHAIRMAN: Please, Let him finish.

श्री रमा शंकर कौशिक: राइट वाले मामले में मैंने इनको सोर्स भी बता दी कि ये स्टेट क्राइम ब्यूरो का रिकार्ड है।

DEPUTY CHAIRMAN: Just one second. ये अखबार की खबर मानने लायक है। अच्छा अखबार है कि खराब अखबार है ...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम: आप उसके मुख्य सम्पादक को कुछ भी कहें लेकिन अखबार अच्छा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: अखबार अच्छा है, सम्पादक अच्छे हैं या नहीं यह मुझे मालूम नहीं है।...**(व्यवधान)**...

प्रो॰ रामगोपाल यादव: अखबार तो अच्छा है लेकिन सम्पादक के बारे में आप जानें।...**(व्यवधान)**...

श्री रमा शंकर कौशिक: यह स्टेट क्राइम ब्यूरो का रिकार्ड बताया है। इसमें डकैती 422, लूट 2095, मर्डर 3,725, रायट्स 3,252, बलगरी 4,438, डाकेरी डैथ 980 है और अकेले लखनऊ में 15 जून तक 85 लोग मारे जा चुके हैं और 75 लोगों को किडनैप किया गया।...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम: इसका अल्पसंख्यकों से कोई वास्ता नहीं है। जब आपने विषय अल्पसंख्यकों से आरम्भ किया है मगर इसका इससे कोई संबंध नहीं है। यह तो अपराधों से संबंधित है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रमा शंकर कौशिक: इतनी देर में तो मैं अपनी बात खत्म कर देता।...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: गौतम जी, अगर अल्पसंख्यक मरें तो हमें दुख प्रकट करना चाहिए अगर दूसरे मरें तो उनके लिए अफसोस करना चाहिए। यह तो बड़ी खराब बात है। अच्छा तो अब बोलिए।

प्रो॰ राम गोपाल यादव: इसमें महिलाएं भी हैं जो इसके परव्यु में आती हैं।...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: महिलाएं तो वैसे ही पिछड़ी जातियों की हैं। चलिए बोलिए।

श्री रमा शंकर कौशिक: मैडम, जो प्रश्न माननीय नरेन्द्र मोहन ने उठाया था **मैंने** केवल उसका जवाब दिया है। वे रायट्स के बारे में कह रहे थे। रायट्स मतलब यही नहीं होता है कि वहां दंगे हो गए, वह लोग मर गए। रायट्स के माने झगड़ा भी होता है ए एक साम्प्रदायिक भी हो सकता है, जातिगत भी, दंगे व बात होती है, तनाव की भी बात होती है। ये सारी चीः उसमें काउंट होती हैं और ये उत्तर प्रदेश के रिकार्ड व बात है। ऐसी बात नहीं है कि आपके दैनिक जागरण व बात है। मैडम, इतना ही नहीं, आप इस बात व गंभीरता को समझ सकती हैं और वह बात मैं इस सद में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी ने एस॰एस॰पी॰ ने यह सर्कुलर जारी किया है कि आप लोः घर से समय बदल कर निकलिए। बाहर निकलिए त समय बदल कर जाइए, टाइम बदल दीजिए, रास्ता बदल दीजिए, बिना किसी को साथ लिए मत जाइए। यह वह के एस॰एस॰पी॰ का सर्कुलर है। यह प्रधानमंत्री के चुना क्षेत्र का मामला है इसलिए यह और भी जरूरी है कि इस सदन के संज्ञान में यह बात आनी चाहिए एस॰एस॰पी॰ यह बयान देता है, और राजधान माफियाओं का गढ़ हो गया है यह बयान डी॰जी॰पी देता है। यह बयान बी॰जे॰पी॰ का है, मेरा नहीं है। य स्थिति वहां हो गई है। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में या से कमेटी भेजती है, केंद्रीय टीम पश्चिम बंगाल जा रा है, बिहार जा रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रही इ सारी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है मैडम, 200 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहां हत्या कर दी गई है। मेरे पास यह लिस्ट है अगर नरेन्द्र मोहन जी इजाजत दें तो मैडम आपके मार्फत मैं यह लिस्ट...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: अभी तक तो नरेन्द्र मोहन जी व एडीटरी हाउस में नहीं चल रही है। अभी तो चेयरमैं चला रहे हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक: आपकी मार्फत मैं व लिस्ट पढ़ सकता हूं जिससे पता चलेगा कि वहां क स्थिति है। जौनपुर में समाजवादी श्री कमलनाथ पाण्डेय श्री राजकुमार यादव, श्री परमजीत यादव, श्री सूर्यम उर्फ उमाशंकर यादव, श्री विजय कुमार राजभर, श्री जगन्नाथ यादव, श्री कोमराम, फतेहपुर के श्री चरन सिं यादव, फतेहपुर के ही राम दीन सिंह, श्री लाल पासवान, कानपुर देहात के श्री छेदी लाल पाल...

उपसभापति: बहुत लम्बी लिस्ट मत पढ़िएगा।

श्री रमा शंकर कौशिक: कानपुर देहात में धनीरा पाल...

श्री मोहम्मद सलीम: उत्तर प्रदेश में हत्याओं के
ालावा क्या कोई दूसरा काम ही नहीं होता?
. (**व्यवधान**)...

†شری محمد سلیم: اتر پردیش میں ہتیاؤں کے علاوہ کیا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہوتا... "مداخلت"...

श्री रमा शंकर कौशिक: मैडम, ऐसी स्थिति वहां पर
गई है।...(**व्यवधान**)... मैं अपनी पार्टी के
ार्यकर्ताओं का नाम बता रहा हूं आप अपनी पार्टी के
ा दीजिए।

उपसभापति: आप प्लीज, जल्दी जल्दी बोल दीजिए
र भी नाम है।

श्री रमा शंकर कौशिक: यह जो मैंने बताया है
: स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के मई तक के पहले के
कड़े हैं। अब जो वहां लेटेस्ट पोजीशन है वह यह हो
है कि वहां पर हत्याएं 5584, 3019 से ऊपर लूट,
6 डकैती और 119 फिरौती के लिए अपहरण, यह
ाति उत्तर प्रदेश की है। पूरा उत्तर प्रदेश आतंक के
ये में जी रहा है। माफिया, चाहे राजधानी हो, चाहे
ला हेडक्वार्टर हो, चाहे कोई शहर हो, कोई भी जगह
ी नहीं है जहां किसी दिन इस तरह की घटनायें न
ी हों। हर दिन लूट हो रही है। डकैतियां हो रही हैं,
ल हो रहे हैं। इस ढंग से वहां काम चल रहा है।
लिए इस बारे में दिल्ली की सरकार को, केंद्रीय
कार को सोचना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना
हिए। हम गलत हस्तक्षेप करने के पक्षधर नहीं हैं
केन फिर भी वहां की स्थिति को देखते हुए ऐसी
वस्था होनी चाहिए ताकि वहां का आम आदमी
क्षित रह सके और अच्छी तरह से जी सके, आपके
ध्यम से मुझे इतना ही कहना है।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): महोदया,
:क्शन आफ ह्यूमन राइट्स ऐक्ट 1993 के सेक्शन
के अन्तर्गत मैं यह विशेष उल्लेख आपके माध्यम से
र रहा हूं। महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार निरंकुश और
ाशाही तरीके से राज कर रही है, जिसका जिक्र अभी
शेक जी ने किया। लेकिन इसका एक ज्वलंत
हरण है। अभी उत्तर प्रदेश में एक मानवीय संगोष्ठी
आयोजन लखनऊ में होना था। इसकी पूर्व में
लिखित अनुमति दे दी गयी थी जो कि बाद में रद्द कर दी गई। कल के पेपर के प्रथम पृष्ठ में इस बारे में बहुत प्राथमिकता से यह समाचार छपा है। लखनऊ में यह संगोष्ठी हिन्दी संस्थान आडिटोरियम में इसी सप्ताह होनी थी। इसकी अनुमति पूर्व में ही लिखित रूप में भेज दी गई थी। लेकिन इसको इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि यह आयोजन इस सरकार के विरुद्ध प्रचार के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। जबकि जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया का लेजिस्लेशन है और जो एन०जी०ओज़० को अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिस एक्ट का मैंने जिक्र किया है, उसके तहत ह्युमेन राइट्स एक्ट वह सुविधा प्रदान करता है कि यदि कहीं अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, जुल्मो-सितम हो रहा है, सरकार की मनमानी हो रही है और आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इस एक्ट के तहत न केवल एन०जी०ओज़० आवाज़ उठा सकते हैं, इनका कोई भी एक्टीविस्ट आवाज़ उठा सकता है बल्कि सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह जो बातें उठाएं, उन पर गौर करके कार्यवाही की जाए।

उपसभापति महोदया, उत्तर प्रदेश में मानवीय अधिकारों का हनन तो एक तरफ हो ही रहा है, दूसरी तरफ आपराधिक तत्व, माफिया और सत्ताधीशों की तरह के तिकड़ी काम कर रही है। अपहरण की घटनाओं का जिक्र कौशिक जी ने किया। इन घटनाओं के संबंध में मैं बड़े अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के नाम का उल्लेख किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में देश में सर्वाधिक मौतें हुई हैं और पुलिस कस्टडी में मौतें हों तो इस ह्युमैन राइट एक्ट के तहत उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है जिनकी वजह से यह मौतें हुई हों। जिस संगोष्ठी का आयोजन किया जाना था, दर-असल उसमें इन सब बातों का जिक्र होना था कि पुलिस कस्टडी में कितने लोगों की मौत हुई, झूठे इनकाउंटर बता कर कैसे बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने असेम्बली के फ्लोर पर कई बार कहा है जब से झूठे इन्काउंटर्ज़ का जिक्र हुआ, वह इस बात की जांच कराएंगे लेकिन जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। लगभग 170 इन्नोसेंट व्यक्ति झूठे इनकाउंटरों में मारे बताए गए हैं। जिस प्रकार से वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिलकुल चरमरा गई है, एक पासी नामक व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया गया। उसको पहले कहा गया कि बैंक डकैती के मामले में वह अपना जुर्म स्वीकार करे, जब उसने स्वीकार नहीं किया तो उसको मार दिया गया।

†Transliteration in Arabic Script

इस संबंध में उस संगोष्ठी में जिक्र होना था। हमारे सांसद् सम्मानित साथी कुलदीप नैयर जी भी वहां गए थे, पेपर में भी इस बात का जिक्र है, इस बारे में विस्तार से आंखों देखी बात वे बताएंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Pachouri, I have many other names.

श्री सुरेश पचौरी: मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बाद में इस संगोष्ठी की परमिशन अफसरों ने कैंसिल की। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि उस अफसर के खिलाफ इस ह्युमैन राइट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत कार्यवाही की जाए जिसने उस संगोष्ठी पर प्रतिबंध लगाया। एक सर्वदलीय संसदीय समिति उत्तर प्रदेश में जा कर देखे कि किस ढंग से पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं, किस ढंग से माफिया यहां काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालत चरमरा गई है। इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी है। यहां ह्युमैन राइट्स के संबंध में जिस गोष्ठी का आयोजन किया जाना था उसकी अनुमति के पीछे जो जो अधिकारी रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही तो हो ही, साथ ही सरकार को इस विषय में क्षमा याचना करनी चाहिये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेशन है, उसका अपमान हुआ है। ह्युमैन राइट्स से संबंधित संगोष्ठी को उत्तर प्रदेश ने रद्द किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इस संबंध में क्षमा याचना करनी चाहिये। धन्यवाद।

श्री कुलदीप नैयर (नाम निर्देशित): उपसभापति महोदया, अभी जिस बात का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। मैं कल इसके लिए लखनऊ पहुंचा था। ख्याल तो था कि एक हाल में यह मीटिंग होगी क्योंकि हमें पहले ही इस की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन जब मैं पहुंचा तो उससे कुछ देर पहले उन्होंने यह परमिशन विदड्रा कर ली थी। तो हम लोग सड़क पर ही बैठे। तकरीबन 50 संस्थाओं के लोग थे और हमारा विषय यही था कि यू०पी० में जो ह्युमैन राइट्स वायोलेशन होते हैं, उनके खिलाफ बात कही जाए। मुझे यह भी बात सूझी क्योंकि मैं जागरण बहुत रेगुलरली करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whose cell phone is ringing?

एक माननीय सदस्य: जागरण का...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: आपका भी कानफिसकेट कर के यहां रख दीजिये। शाम को ले कर जाइयेगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन: माफी चाहता हूं।

उपसभापति: आइंदा से I won't show mercy.

आप लोग बहुत बड़े लोग हैं। सबके पास मोबाइल हैं। बाहर रखकर आया कीजिए Otherwise, it will be taken into the Rajya Sabha's property. It is not allowed inside the Chamber. Please don't bring it.

श्री कुलदीप नैयर: इस विषय में नरेन्द्र मोहन बहुत लिख चुके हैं और मैं उन्हें काफी पढ़ता रहा हूं। उन्होंने यहां तक भी लिखा है कि अगर मैं सही हूं ...(**व्यवधान**)... यू०पी० में तो अब बस एक इन्सानियत का राज नहीं* हो गया...(**व्यवधान**)... और यह पता नहीं पार्लियामेंट्री है कि नहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम: मैडम, यह आब्जेक्शनेबुल है। *(Interruptions)* This is highly objectionable. What does he mean by it?

श्री कुलदीप नैयर: यह अखबार में निकला है। मैं कोट कर रहा हूं...(**व्यवधान**)... चलो * ...(**व्यवधान**)... चलो*, ठीक है...(**व्यवधान**)...

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Madam, I just want to point out that the word 'goonda' is not unparliamentary because there is, on our Statute book, the Goondas Act. Therefore, there is no question of it being unparliamentary. ...*(Interruptions)*

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Mr. Sibal, there is a difference between* and*

SHRI KAPIL SIBAL: That statute is applicable in Uttar Pradesh. There is nothing wrong with the use of that word.

श्री कुलदीप नैयर: ये तो लफ्ज इनके हैं .....(**व्यवधान**)

श्री नरेन्द्र मोहन: मैंने यह नहीं लिखा होगा। अखबार में छपा होगा ....(**व्यवधान**) आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। अखबार में छपा होगा लेकिन यह कहना कि नरेन्द्र मोहन जी लिख चुके हैं शायद यह आपका भ्रम है ....(**व्यवधान**)

*Expunged as ordered by te Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The main thing here is the parameters of words

अगर कोई लफ्ज "गुंडा" जैसे लफ्ज है, अगर वह किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए तो it is not allowed because you are casting aspersions on somebody's character and you are not substantiating it. So, this is not permitted. But if it is regarding an Act or something, then you are permitted. Otherwise, if it is regarding some persons, then it is not allowed.

श्री कुलदीप नैयरः मैंने तो नहीं लिया* का नाम ....**(व्यवधान)**

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: This is also objectionable.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): यह * नाम रिकार्ड से निकाल दिया जाए .....**(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will remove it from the record. It should not be addressing anybody. It is not a good term. There are many other words. Mr. Nayyar, you may speak in English. Nobody will object to it. We are mentally colonised. If we say something in English, we take it. But if we say something in our own language, it hurts really.

SHRI KULDIP NAYYAR: The point that I was trying to make is that when we were holding that meeting, there were hundreds of people collected just on the roadside and some people came to the dais to tell us certain instances. And these instances relate to, I am sorry to say, the people belonging to the backward classes, the Scheduled Castes and the minorities. So, what is really happening there is that in the name of, as the Chief Minister said, liquidation of some anti-social elements, innocent people are being killed and there is no way really that this thing is being checked because it is being shown as State encounters. I want to point out that we have gone through this kind of a thing in Punjab and we are going through this in Kashmir as well. In the name of anti-social elements, innocent people are killed.

And since the people in the country have a mindset and that mindset is, "Look here, these people are all the insurgents or terrorists or anti-social" and so, because of that name given to them, people generally don't protect against them. My appeal to you is that the UP Government has no Human Rights Commission. It has been provided in the Act that every State should constitute a Human Rights Commission. May I request, through you, the Government that a Human Rights Commission be appointed? Secondly, there is a Committee on Minorities. The budget of that Committee on Minorities has been cut to the bones, almost one-tenth of what it used to get, which means that they really want that Committee to wind up its show. So, I again appeal to the Chief Minister, through this House, that he should restore its budget so that the Committee can really conduct its activities.

The third and the final point is that because of these encounters, because of the oppression of Police in this country, this sensitivity is going away. A new kind of atmosphere has been created wherein, without realising what is wrong or what is right, wherever there is any dissent or criticism, people suppress it and call it wrong. I want to appeal that we should really consider it very seriously. There Police *zulam* is now spreading so much that no citizen is safe, not even MPs, and if this continues, then the country will be held to ransom by this kind of policemen, who are in contact with the mafia and the real meaning of democracy will be suppressed or lost. So, I appeal to the U.P. Government that it should not enter into this kind of things like suppressing human rights organisations and not allowing them to do their work. They should allow all these things to happen so that we could give vent to our grievances.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः उपसभापति महोदया, यह विशेष उल्लेख का मामला उठाया गया था उत्तर प्रदेश में माइनारिटीज़, अल्पसंख्यकों के संबंध में उनके साथ अन्याय हो रहा है। उसको बढ़ा कर बाद में

मानवाधिकारों पर लाया गया, लॉ एंड आर्डर के सवाल के साथ जोड़ा गया। निश्चित रूप से लॉ एंड आर्डर उत्तर प्रदेश की असेंबली में बहुत बार डिसकस हुआ। ये मामले वहां पर काफी चल रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो तो यह गलत बात है। अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय होता है तो वह अच्छी बात नहीं है। एक भी अल्पसंख्यक का व्यक्ति अगर डरता है तो यह उचित नहीं है। एक भी उदाहरण होता है, एक भी डकैती होती है, एक भी मानवाधिकार का हनन होता है तो निश्चित रूप में वह राज्य के लिए एक बहुत ही दुख की बात है, लज्जा की बात है। परन्तु सवाल यह पैदा होता है कि क्या स्थिति इन दिनों में बिगड़ गई? क्या उत्तर प्रदेश में हालात इन्हीं दिनों में सब खराब हो गए? क्या उससे पहले वहां पर एक भी ऐसी घटना नहीं होती थी? जब मैं 3252 रॉयट्स की बात की गई तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कल यहां दिल्ली में जब पुलिस आफिसर के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15 दिन में 20 रॉयट्स हुए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 15 दिन में 20 रॉयट्स कैसे हुए। उन्होंने कहा जहां चार आदमी से ज्यादा आपस में कहीं झगड़े हों तो उसको हम रायट् कहते हैं। तो यह 3252 रॉयट्स की जो बात की जा रही है निश्चित रूप में यह टैक्नीकल वर्ड है। यहां कोई भी उसमें हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं है। उसमें किसी और का भी सवाल नहीं है। अगर किसी भी दो गुटों में झगड़ा हो जाए और चार से ज्यादा आदमी हों तो उसको रायट करके लिख दिया जाता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि.....(व्यवधान) मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में यदि सब से कम दंगे हुए हैं तो वह इस सरकार के समय में हुए हैं और उससे पहले के दंगों की संख्या कहीं ज्यादा थी।

दंगों पर बहुत ज्यादा काबू पाया गया है। लखनऊ के अंदर पहली बार शिया और सुन्नी दोनों के जुलूस निकले। इस से 30—35 साल पहले तक जब भी उन के जुलूस निकलते थे, दंगे होते थे, लड़ाई और इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा होती थी।

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): आप सही इत्तला नहीं दे रहे हैं। आप सही इत्तला दें, मुझे उस में एतराज नहीं है। देखिए आप ने कहा कोई दंगे नहीं हुए और पहली दफा शिया सुन्नी मिलकर वह कर रहे हैं। क्या इस बीच में झगड़े नहीं हुए, पथराव नहीं हुए? ...(व्यवधान).... इस बार भी हुए। .....(व्यवधान).... यह सब आप को नहीं कहना था, बाकी आप कहिए।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: उपसभापति महोदय, इस स्थिति में मैं प्रदेशों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य हुआ जब कुलदीप नैयर जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और दूसरे तरीके से कल्याण सिंह जी का नाम लिया। क्या इन्हीं शब्दों का प्रयोग बिहार के बारे में नहीं हो रहा? क्या बंगाल के बारे में नहीं हो रहा? आप हिंदुस्तान का कोई राज्य बता दीजिए जिस के बारे में यह नहीं कहा जाता कि गुंडे, माफिया और दूसरे लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया है और ये बातें वहां पर अखबारों में नहीं छपती हैं? उपसभापति महोदया, यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं था। आप इसे राजनीतिक सवाल न बनाएं। मैं तो कहूंगा कि आप पिछले 10 साल के आंकड़े निकालिए और इन्हें मिलाइए तो आप को इस समय के अपराध सब से कम नजर आएंगे।

महोदया, मानवाधिकारों के हनन की बात, बुरी बात है और यह भी ठीक है कि पुलिस की हवालात में, जेल में या थानों में कहीं पर किसी की हत्या हो, कोई मारा जाये तो वह बहुत ही गलत बात है और उस की सजा संबंधित को जरूर मिलनी चाहिए। परंतु आप आंकड़े निकालकर देख लीजिए किन-किन सालों में, कहां-कहां पर और किस-किस के राज में कितने लोग मारे गए? उस के लिए किसी सरकार को दोषी ठहरा देना या उस के बारे में दूसरी बात कहना उचित नहीं है। परंतु मैं कुलदीप नैयर जी को बहुत ही आदरपूर्वक कहना चाहूंगा कि वहां पर पिछले दिनों में फारूख अब्दुल्ला साहब ने इस बात पर इतना बल दिया है और इतने भाषण दिए हैं और कहा है कि मानवाधिकारों का हनन खराब है चाहे फिर वह पुलिस करे, मिलिटरी करे या कोई भी करे, लेकिन क्या केवल हत्यारों के मानवाधिकार की बात की जाये? केवल आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात की जाएगी? जो लोगों को रेत-रेतकर मारते हैं, काटते हैं, बलात्कार करते हैं, उन के मानवाधिकार की बात की जाये और जो लोग मरते हैं जिन को मारा जाता है, जिन के परिवार तबाह कर दिए जाते हैं, जिनकी बारातें काट दी जाती हैं, जिन के बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया जाता है, काट-काटकर टुकड़े किए जाते हैं, उन के लिए कोई मानवाधिकार नहीं होता है? उन के किसी मानवाधिकार की बात नहीं कही जाये? उपसभापति महोदया, मानवाधिकार के नाम पर फारूख अब्दुल्ला

साहब ने कहा है कि मानवाधिकार और जो मानवाधिकारवादी वहां आ जाते हैं, उन्होंने यहां पर आतंकवाद को सब से ज्यादा बढ़ावा दिया है। उपसभापति महोदया, मानवाधिकार का हनन बुरी बात है और मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। मानवाधिकार की बात आप मत करिए, परंतु फेग एनकाउंटर भी गलत बात है। फेग एनकाउंटर नहीं होने चाहिए परंतु जब डकैतों के साथ मुकाबला हो, डकैत मार रहा हो, वे पुलिस पर गोलियां चलाए और अगर वह मारा जाता है तो आप कहते हैं कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, पुलिस ने उस को कैसे मार दिया? तो क्या पुलिस चाहे वह हत्यारा हो, डकैत हो, उस को मारेगी नहीं? तो पुलिस को बनाया किए लिए गया है? पुलिस को रखा किस लिए गया है? काहे के लिए सी०आर०पी० पुलिस पर हिंदुस्तान के बजट का हजारों करोड़ रुपया लगाया जाता है। आप फेग एनकाउंटर कहीं पर हो जाये तो उस के बारे में जरूर कहिए।

आप ने कुछ लोगों के नाम लिए कि वहां पर इतने अल्पसंख्यक लोग मारे गए। महोदया, मैंने पहले ही कहा कि एक भी अल्पसंख्यक मारा जाये तो वह बुरी बात है, परंतु दूसरे भी बहुत मारे गए हैं और दूसरे भी बहुत लोगों की हत्याएं हुई हैं। मैं खुद ही कह रहा हूं कि अपहरण और बलात्कार दोनों ही बहुत गलत बात है और ये हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली में भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, सारे देश में हो रहे हैं। इस के लिए सब लोगों को मिलकर मुकाबला करना होगा। यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं है और यह भी ठीक है कि पोलिटिशियंस, माफिया, गुंडे या आतंकवादी—इन सब में से कहीं-न-कहीं आपस में गठोजोड़ रहता है और पुलिस से मिलीभगत के कारण ये कार्यवाहियां होती हैं। ये सब प्रदेशों में हो रही हैं। उपसभापति महोदया, पहले एक वोहरा कमेटी बनायी गयी थी और उस की रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। पहले कोई कार्यवाही नहीं हुई, अब सरकार ने उस के ऊपर गौर शुरू किया है। तो यह जो सब की मिलीभगत से ये सब चीजें हो रही हैं, इस को तोड़ने की जरूरत है। हम इस को एक राजनीतिक सवाल नहीं बनाएं। हम सब मिलकर इस का मुकाबला करें हमारे राज्य सभा और संसद के लोग मिलकर इस का मुकाबला करें। हमारा पूरा कर्त्तव्य है कि हम मिलकर इस का मुकाबला करें तभी ये चीजें ठीक हो सकती हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: He was Chairman of the Human Rights Commission. I think, the discussion was not on human rights violation but the discussion was because human rights conference was not allowed.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : He said so.

SHRI RANGANATH MISRA (Orissa): I wanted to inform Kuldip Nayyar that there has been a writ issued by the Allahabad High Court to the U.P. Government three years back to set up a Human Rights Commission. When Mr. Vora was the Governor of Uttar Pradesh, he notified setting up a Commission and it was gazetted. Since there was no ministry and the Act envisaged a particular procedure for constituting the body, that is the Human Rights Commission at the state level, the Chief Minister, Home Minister, Speaker, the Council of the State, Chairman and the Leader of the Opposition in the two Houses were not there because President's rule was in vogue, they had taken the consent of the National Human Rights Commission that this will be set up when these bodies are set up, that means when the President's rule ends and the normal democratic principles, come back. Two years have passed, more than a year has certainly passed. The U.P. Government has not been following the writ order that has been there. The gazette notification is already there. The Government has nothing to decide but to man the Commission. This is for your information. You said that it will set up. It has not been set up under the Act. The notification is in the official gazette, the rest of it has not been done. If you follow it up, it will be done.

The second thing is, we had agreed throughout the world that we will have the ethos improved so that the culture of human rights will come. The ultimate guarantee in support of good living is the culture of human rights and not legislation, not providing police force. The culture can grow only when the message

goes and reaches every one. It is a matter of the heart, it is a matter of understanding, it is a matter of perception and as long as individual perception does not change and gets motivated to have a proper behaviour to live in a civilised manner, to respect life wherever it exists and it behaves in a particular way which is in consonance with its agreed upkeep, human rights will not come. It is a delicate plant and if you want it to grow, you must provide the necessary surrounding, atmosphere and support so that it will survive. That is the ethos of the Human Rigths Protection Act and that is the message that has been given. The universal declaration itself indicated that it is through reading and through teaching that we shall reach every individual heart to get it qualified and improve so that it reaches a level of right. It is our obligation whether you are in the Rajya Sabha or you are in the Lok Sabha or you are in a State Legislature or whether you are in any institution or an individual by yourself, to contribute one's own might to the level of this culture. There is no question of agitation. There is no question of getting agitated by use of words. What is necessary is the change of heart, make proper feeling within yourself, a part of your outlook. I appeal to brethren here and everyone throughout the country and, nay, the whole world that until we change our perception and develop the culture, human rights will not grow. It is certainly wrong to say that life is being interfered with but I must also tell you my experience, in the Human Rights Commission, of three years and a month I worked there. The part of the Uttar Pradesh which borders Delhi is in a very bad shape. That you must accept. I am making no allegations. Government will come and Governments go. Political parties will be there. This is not an allegation against any particular political party or a party in Government but the level is very bad. In fact, at my instance, three DIGs were changed in succession. Ultimately, a good DIG came who did a laudable work but the situation is bad, and the level of Uttar Pradesh is not certainly that which could, probably, be appreciated. It is like Andhra Pradesh, like Bihar, like a part of Uttar Pradesh. I am not talking of the entire Uttar Pradesh. The part which is close to Delhi has been criminalised. Those who are capable of handling will handle and improve the situation so that respect for life would improve, respect for property would improve and the people would get their own due. It is only the human being who has a right to smile and no other creature has got it. God has endowed man with the capacity to smile. Somebody has robbed this smile from our faces. Why? Who has the right to do it? Why should society be not able to protect itself and restore that smile? Madam, this is what is wanted to submit. Thank you.

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam, I associate myself with the sentiments expressed by the hon. Member from this side, who is the former Chairman of the Human Rights Commission also. He has elaborated what human rights mean. Madam, in some States even State Commission have not been set up. Madam, we know the situation which is prevailing in U.P. In a certain State a Minister is coming before the legislature and complaining that his life is in danger. The situation has come to such a level. He comes before the legislature and makes a statement that he may be killed. ...*(Interruptions)*...I never mentioned Maharashtra. ...*(Interruptions)*... I did not say Maharashtra. ...*(Interruptions)*... I have not said it. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: If there is law and order problem and people are killed in U.P. You criticise. You cannot criticise any other State, it is not fair. ...*(Interruptions)*... Wherever it is, whether it is Bihar, whether it is U.P., whether it is Karnataka, whether it is Maharashtra ...*(Interruptions)*...The question is ...*(Interruptions)*... The point is that he has raised the issue of U.P. and he was permitted for that ...*(Interruptions)*... I allowed the former Chairman

of the Human Rights Commission to speak. ...*(Interruptions)*...

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): जहां महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई है, वहां की सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ...**(व्यवधान)**...जहां इनकी सरकार है, वहां के बारे में कहिए। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a question of people's right to live. Tilak said, "Freedom is my birth-right." We can also extend it ...*(Interruptions)*... It came from Maharashtra ...*(Interruptions)*.... If somebody mentioned it, you should not mind it. ...*(Interruptions)*... Tomorrow you may be a Minister and somebody can harass you. ...*(Interruptions)*... he says that this should be above politics. This is an issue of people's right to live. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra): Madam, if he wants to raise the issue of Maharashtra, then we may also be allowd to raise. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ravi, did you mention Maharashtra? ...*(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): No, I have not mentioned Maharashtra, Madam, I have not said anything about Maharashtra.

SHRI SANJAY NIRUPAM (Maharashtra): He mentioned Maharashtra. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: I did not say Maharashtra. Somebody else may have mentioned it. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You should allow human rights in this House. They should be allowed the right to speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH CHANDRA SITARAM PRADHAN (Maharashtra): Madam, he has levelled allegation against ...*(Interruptions)*...

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): महाराष्ट्र का नाम वायालार जी ने नहीं लिया, उनको इंस्टीगेट करके एड करवाया गया। इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। ....**(व्यवधान)**.... उन्होंने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया। ....**(व्यवधान)**....

AN HON. MEMBER: Madam, we request you to kindly permit discussion on this for one hour. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would definitely tell the hon. Chairman that this is the consensus of the House that there should be a discussion on this subject because it can affect anybody. Suppose there is a law and order situation. आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, यह कहीं गोवा के हैं, जहां यह मारे जायेंगे तो ....**(व्यवधान)**....या महाराष्ट्र का बार्डर है.... Suppose somebody is killed say, in Bihar ...*(Interruptions)*...I have always been telling that when it is a question of women or SC or ST or human life, we should rise above political considerations. Today, somebody is in Government and tomorrow another person may come into Government. If the system is destroyed, nobody can build it. It takes years to build a system, either it may be the parliamentary system or the system of law and order which is prevailing in our country. If it is destroyed, you can be avictim of it or any one of us can be a victim of it. So, please do not make it political. Discuss it in right earnest and sincerity of the subject which is before us. Please be brief. यहां अगर लड़ाई होगी तो क्या होगा?

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, the main issue is, in U.P. also there is use of brutal power by the State against individual citizens. That is my question. So, the Human Rights Commission has to protect the human rights and the right to live. That is my question. It is not a question whether it is in U.P. or in Kerala or in Bihar or in Maharashtra. In this question, I would like to make a relevant point and it is about the fake encounters and killing people. This has also been raised. These fake encounters are happening in different parts of the country. These are happening not only in U.P.. these are happening in different

parts of the country. If I say "in different parts of the country," definitely, it includes Maharashtra and Mumbai. If I say this, it is neither unparliamentary nor am I against the Government there. So, these fake encounters are taking place in different parts of the country and it includes U.P., Bihar, Kashmir and it may even include Maharashtra and Bombay. In that connection, I am only saying that the law and order situation, as you correctly put, is to be debated. When I *mentioned it, I mentioned that it was* never in Maharashtra but by close friends—Mr. Sanjay Nirupam and Mr. Shirodkar—from the other side stood up. What I am saying is, when you come from a particular State and there a Minister himself is complaining for his own security and threat to his life, I wanted to protect your life as a politician. That is why I am saying that there is a need for protection to the persons who are in public life and also to all citizens. So, Madam, as in U.P., as in Bihar and as in Maharashtra, these human rights violations should be prevented and the Human Rights Commission must be given if necessary, more powers and see that every individual's right to life, property and other things is guaranteed. Thank you.

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभापति महोदया, मानव-अधिकारों की श्रेणी में जो लोग आते हैं, इनमें हमें विभाजन करना पड़ेगा।

We are misconceived.

जस्टिस साहब यहां बैठे हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन निर्दोष लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, जिनकी हत्या होती है, जिन गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित और कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और जो बड़े लोग उल्लंघन करते हैं, अदालत से उनको सजा नहीं मिलती क्योंकि उनके खिलाफ किसी की गवाही उपलब्ध नहीं होती और जस्टिस साहब, इन वांट ऑफ ऐविडेंस उनका ऐक्विटल कर देते हैं। इसलिए उनको कोई सजा नहीं मिल पाती। इसलिए हमें यह चर्चा करना पड़ेगा कि वास्तव में किसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

महोदया, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हत्याएं हो रही हैं, उनमें भी हमें अंतर करना होगा। गुंडे, गुंडों की हत्याएं कर रहे हैं, गिरोह वाले दूसरे गिरोह वालों की हत्याएं कर रहे हैं। इसके अलावा किसी बदमाश को क्या दूध-जलेबी पिलाकर बदमाशी करने से रोका जा सकता है? आप मुझे बताइये क्या इसका इलाज होगा?

यहां किसी भी बदमाश को बिलाय ऐनकाउंटर के खत्म नहीं किया जा सकता। जहां तक फेक एनकाउंटर का सवाल है ...(*व्यवधान*) मैं उसकी ताईद नहीं कर रहा हूं ...(*व्यवधान*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is his right to speak. Let him speak ...(*interruptions*)...

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं उसकी ताईद नहीं कर रहा हूं लेकिन चूंकि पुलिस वाले उससे मिले रहते हैं, नेता लोग शैल्टर देते हैं, गवाही उपलब्ध नहीं होती, अदालत से वह बरी हो जाता है, तब कौन मार देगा उसको? आपको कहना चाहिए कि फेक ऐनकाउंटर कितने हुए हैं, आप उनके नाम दे दीजिए, हम उनकी जांच करवा लेंगे। अगर कोई ऐसा है, कि बदमाश, बदमाश के द्वारा मारा गया है तो फिर आपको शिकायत क्यों है? ...(*व्यवधान*)

उपसभापति: आप उधर देखकर मत बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: अगर कोई बदमाश ऐनकाउंटर में मारा गया तो फिर आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? दूसरी बात मुझे कहनी है, यह कि ह्यूमन राईट्स कमीशन के नाम पर यह जो फंक्शन करने जा रहे थे यह केवल एक बहाना था और वह अभी पता लग गया, आपने स्वयं बता दिया। ह्यूमन राईट्स कमीशन के नाम पर भड़काऊ भाषण करके प्रदेश के माहौल को खराब करने और वहां पर दूषित वातावरण पैदा करने की सरकार कैसे इजाजत दे सकती है।

उपसभापति: अच्छा, अब आप बैठिए मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। Before I call anyone else, let me tell you that the hon. Minister, Shri S.S. Barnala is sitting here. He has got a Motion for reference of the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1998, to a joint committee. Barnala-ji, you can move the Motion.